न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज0)

उक्त वाद/प्रार्थना पत्र/अपील का निर्णय/निस्तारण दिनांक 20.7.2023..... को किया जा चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा(खैरथल–तिजारा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
441 / 2022	09-09-2022	20/07/2023

उनवान

01. रामकिशन उर्फ सुखराम
02. रामपत पुत्रान स्व0 श्री रामजीलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान)

——:: वादी

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार, तिजारा जिला अलवर (राज0)

——:: प्रतिवादी

दावा इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो हुक्मइम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

स्थित

01. श्री कुलदीप आहूजा एडवोकेट (वादीगण)

–:: निर्णय ::–

प्रकरण में सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी ने यह वाद इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज वो मइम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन या है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 23 बीघा व 557 रकबा 3 बिस्वा वाके ग्राम हसनपुर की तहसील तिजारा में स्थित है। जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा पैमुद ये गये है। वर्णित आराजी इस वाद में विवादित आराजी कहलावेगी। साबिक आराजी खसरा नम्बर 586 कबा 23 बीघा, जिसके हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा है, में से अन्य राजीयात के साथ साथ साबिक आराजी खसरा नम्बर 586 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा रकबा की खातेदारी रिये सनद पट्टा संख्या 624 दिनांक 30.01.1983 को तहसीलदार कम मैनेंजिग आफिसर, तिजारा द्वारा न हम वादीगण के पिता रामजीलाल पुत्र श्योजी के नाम जारी कर दिया गया व खातेदारी हकूक प्रदान र दिये गये। जिसका नामान्तकरण संख्या 249 भी मिन वादीगण के पिता रामजीलाल के नाम दर्ज व जूर हो गया। मिन वादीगण के पिता श्री रामजीलाल का नाम बतौर खातेदार काश्तकार का अमल राजस्व कार्ड जमाबन्दी में कर दिया गया। मिन वादीगण के पिता रामजीलाल अपने जीवनकाल में काबिज व खिल रहा है। हम वादीगण के पिता श्री रामजीलाल का देहान्त हो गया है। उनके मरने के बाद हम दीगण उसके विधिक वारिसान आराजी पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है तथा मौके पर मिन वादीगण पने पिता रामजीलाल से विरासत से मिली अपनी आराजी पर वास्तविक कब्जा है। हाल आराजी खसरा म्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा रकबा सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह को आवंटित कर ट्टा दिया गया था परन्तु सतेन्द्र पुत्र श्री फूलसिंह के नामान्तकरण संख्या 330 में पटवारी हल्का की

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज0

ा से रकबा 23 बीघा 03 बिस्वा रकबा दर्ज कर दिया। जिस कारण से मिन वादीगण के पिता ीलाल के नामान्तकरण संख्या 249 का अमल राजस्व रिकार्ड से हटा दिया गया। तत्पश्चात सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह द्वारा अपने नामान्तकरण संख्या 330 की अपील माननीय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर य अलवर के आदेश से सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह के नामान्तकरण संख्या 330 में हाल आराजी खसरा नम्बर रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा शुद्व कर सतेन्द्र पुत्र फूलसिंह के नाम 1 बीघा 5 ा का दर्ज कर दिया गया परन्तु मिन वादीगण के पिता रामजीलाल का अंकन प्रतिवादी तहसीलदार बहाल नहीं किया गया है तथा उक्त आराजी के गलत रूप से चार नम्बर हाल आराजी खसरा नम्बर रकबा 4.79 है0 व 486/692 रकबा 0.25 है0, 486/697 रकबा 0.40 है0, 486/709 रकबा 0.40 है0 किता 4 कुल रकबा 1.05 है0 दर्ज कर दिये। जबकि उक्त भूमि में गलत रूप से अंकन गैरखातेदारान तीस घर दर्ज कर दिया। जो अंकन उपरोक्त अनुसार गलत दर्ज चला आ रहा है। जो खिलाफ मौका, ाफ रिकार्ड है, जो मिन वादी के हकूकों के खिलाफ आरम्भ से ही बातिल वो बेअसर है, नाकाबिले न्दी है। जिसे मिन वादी इसी कदर बातिल वो बेअसर करार दिलाकर विवादित आराजी के 1 बीघा 12 ा के खातेदार काश्तकार घोषित कराने का अधिकारी है तथा गलत को दुरूस्त कराकर विधि विरूद्व के से पैमुद किये गये बंटे नम्बरो को हटवाकर हाल आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा े 5.84 है0 में से 1 बीघा 18 बिस्वा का खातेदार काश्तकार जरिये पट्टा संख्या 624 व नामान्तकरण या 249 के अनुसार इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर जवाब दावा ुत करने का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। जो मेल पत्रावली की गई। वादी द्वारा साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र रामकिशन उर्फ सुखराम पुत्र रामजीलाल ति मेघवाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर, रामपत पुत्र रामजीलाल जाति ावाल निवासी ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर पेश किया गया जो शामिल पत्रावली ये गये।

वादी अपनी दौराने अपनी बहस वाद के तथ्यों को दौहराया गया है। वादी के वाद को डिक्री किये ने का निवेदन किया गया।

कि प्रकरण में निम्न तनकीयात कामय की गई।

ाकी नम्बर 1 – आया वादी मुताबिक सनद पट्टा व नामान्तकरण, आराजी का खातेदार है, जो इसी कदर स्वयं को खातेदार घोषित कराकर अपने नाम का अंकन कराने का अधिकारी है।

— जिम्मे वादी

ाकी नम्बर 2 – आया वादी, प्रतिवादी को जरिये डिक्री हु0ई0 दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

— जिम्मे वादी

ाकी नम्बर 3 – आया वादी का वाद काबिले खारिज है।

— जिम्मे प्रतिवादी

ाकी नम्बर 4 – अनुतोष।

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज.

यह कि वादीगण को जरिये सनद पट्टा भूमि आवंटित की जाकर नामान्तकरण संख्या मंजूर किया है। जिसका अमल भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में कर दिया गया। परन्तु माननीय अतिरिक्त जिला क्टर महोदय, के यहां दीगर इंतकाल संख्या 330 की अपील होने से व निर्णय होने से उपरोक्त राजस्व र्ड से वादीगण के नाम का अंकन हटा दिया गया। नामान्तकरण संख्या 330 का कोई संबंध व सरोकार गण की आराजी से नहीं है एवं ना ही माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय के निर्णय से गण का रकबा प्रभावित होता है परन्तु पटवारी हल्का की गलती से वादीगण का अंकन सहवन से हटा गया। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाब में किसी प्रकार का विरोधाभाषी कथन वाद के विपरित में नहीं कहां अपितु वाद मे जारी सनद पट्टा व राजस्व रिकार्ड की पुष्टि की है एवं यह अंकित किया है कि कीयहित प्रभावित नहीं है जिस कारण से वादी का वाद डिकी किये जाने योग्य पाया जाता है। तनकी या 1 पूर्णतया वादी के पक्ष में साबित है चूंकि प्रतिवादी राज्य सरकार है इसलिए तनकी संख्या 2 की त कोई अनुतोष वादीगण को नहीं दिया जा सकता।

अतः वादी का वाद डिकी किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 486 रकबा 4.79 है0 व /692 रकबा 0.25 है0, 486/697 रकबा 0.40 है0, 486/709 रकबा 0.40 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 5 है0 वाके ग्राम हसनपुर माफी तहसील तिजारा जिला अलवर (राजस्थान) में मुताबिक सनद पट्टा 624 नामान्तकरण संख्या 249 के अनुसार 1 बीघा 12 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पर्चा डिकी जारी हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
तिजारा (अलवर) राज०

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]